



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 782-पारे०अनु०-16/पाट्टाकालि-2020-18/14 टी०सी०

दिनांक: 22 अक्टूबर, 2020

मुख्य अभियन्ता (पारे० क्षेत्र दक्षिण-पूर्व) / (पारे० क्षेत्र उत्तर-पूर्व) /
(पारे० क्षेत्र दक्षिण-मध्य) / (पारे० क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम) /
(पारे०प०) / (पारे०म०) / (संचार एवं नियंत्रण) /
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी०एम०यू०टी०) /
(785 एवं 400 के०वी० परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /
(जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय) /
उ०प्र०पा०ट्टा०का०लि०,
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

ई-मेल

विषय: कोविड-19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र संख्या-2594-औ०सं०-17/पाकालि/2020/2020-11(2)ए०एस०/20, दिनांक 18.09.2020 ससंलग्न अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-1828/पाँच-5-2020/चिकित्सा अनुभाग-5, दिनांक 10.09.2020 तथा उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1794/पाँच-5-2020, दिनांक 10.09.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कोविड-19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में पुनरीक्षित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एवं निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि निर्धारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों की अनुरूपता में कोविड-19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश एवं निजी प्रयोगशालाओं में करायी गयी उक्त जांच हेतु निर्धारित धनराशि कारपोरेशन के कार्मिकों हेतु अनुमन्य की जायेगी।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

संख्या : 782 (1)-पारे०अनु०-16/पाट्टाकालि/2020

तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।

6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- ✓ 10. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।



(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2594-औ०सं०-17/पाकालि/2020-11(2)ए०एस०/20

दिनांक 18 सितम्बर, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा/कानपुर।

पंजीयन-782-पाकालि-18/सितम्बर/2020

विषय:- कोविड-19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एवं निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-1828/पाँच-5-2020/चिकित्सा अनुभाग-5 दिनांक 10.09.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा कोविड-19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में पुनरीक्षित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1794/पाँच-5-2020 दिनांक 10.09.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हेतु लिये जाने वाले शुल्क की धनराशि निर्धारित की गयी है।

उपर्युक्त शासनादेशों की अनुरूपता में कोविड-19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश एवं निजी प्रयोगशालाओं में करायी गयी उक्त जांच हेतु निर्धारित धनराशि कारपोरेशन के कार्मिकों हेतु अनुमन्य कर्त जायेगी।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० पुरवार)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2594-औ०सं०-17/पाकालि/2020/तददिनांक। 18/9/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. निदेशक (का०प्र०) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।


क्रमशः 2/-

सं० 18/9/20... निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), लखनऊ
दिनांक 19-09-2020

J.S. (T-11) / (T-1) ✓
For order execution
19.9.20 एवं प्रशा० लि०

DSCT-11)
ml
19/9
50/6
19.9.2020

10. महाप्रबन्धक (मा०सं०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड, 12वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश को प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
13. महाप्रबन्धक (ओ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (ओ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
15. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
16. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upncl.org/E BOOK पर अपलोड करने हेतु।
18. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. कट फाइल।


 (आलोक कुमार श्रीवास्तव)
 महाप्रबन्धक (ओ०सं०)

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक : 10 सितम्बर, 2020

विषय-कोविड-19 की टेस्टिंग के सम्बन्ध में पुनरीक्षित दिशा-निर्देश।

महोदय,

कोविड-19 रोग की जाँच के सम्बन्ध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.09.2020 को पुनरीक्षित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० द्वारा अपने पत्र संख्या-21फ/12067 दिनांक 10.09.2020 के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- तत्कम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 टेस्टिंग की कार्यवाही निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित की जाए :-

(क) कन्टेनमेन्ट जोन में :-

जाँच विधि का वरीयता क्रम -

- 1- रैपिड एंटीजन टेस्ट
- 2- आर टी पी सी आर / ट्रूनाट / सी बी नाट

जाँच हेतु पात्रता :

- 1- आई०एल०आई० के लक्षणयुक्त सभी व्यक्ति (चिन्हांकन के 48 घण्टे के अन्दर) जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। सभी ऐसे लक्षणयुक्त व्यक्ति, जिनकी एंटीजन टेस्टिंग के द्वारा जाँच ऋणात्मक पाई गयी हो, उनकी जांच पुनः आर०टी०पी०सी०आर० से कराई जाएगी।
- 2- कन्टेनमेंट जोन में सभी लक्षणविहीन उच्च जोखिम व्यक्ति (60 वर्षीय एवं उससे अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, सहरूग्णता वाले व्यक्ति आदि) की जाँच RTPCR के माध्यम से करायी जाएगी।
- 3- किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला जाँच में कोविड धनात्मक पाए गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्ति (इनमें परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त घरेलू कार्य करने तथा साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं)
- 4- समस्त लक्षणविहीन एवं उच्च जोखिम वाले व्यक्ति के सम्पर्क में आने के 5वें एवं 10वें दिवसों के मध्य एक बार जाँच की जाएगी। यथासंभव यह जाँच दो बार आईवरमेन्टिन एवं यथावश्यक हाइड्रोक्लोरोक्वीन के सेवन के पश्चात 8वें से 10वें दिन के बीच करायी जानी चाहिए।

नोट:

उच्च धनात्मकता दर वाले स्थानों में कन्टेनमेन्ट जोन में रैपिड एंटीजन टेस्ट / आर०टी०पी०सी०आर० द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों की जाँच करायी जानी चाहिए।

(ख) गैर कन्टेनमेन्ट जोन में :-

जाँच विधि का वरीयता क्रम :-

- 1- आर टी पी सी आर / ट्रूनाट / सी बी नाट
- 2- रैपिड एंटीजन टेस्ट

जाँच हेतु पात्रता :

- 1- गत 14 दिवसों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास वाले आई०एल०आई० लक्षणयुक्त सभी व्यक्ति।
- 2- प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड जाँच में पुष्ट रोगियों के सम्पर्क में आये आई०एल०आई० लक्षणयुक्त सभी व्यक्ति।
- 3- कन्टेनमेंट जोन एवं शमन गतिविधियों में कार्यरत आई०एल०आई० लक्षणयुक्त स्वास्थ्यकर्मी एवं प्रथम-पंक्ति-कार्यकर्ता।
- 4- अन्य स्थानों से वापस आने वाले ऐसे प्रवासी जिनमें कोई लक्षण प्रदर्शित होता हो, लक्षण प्रदर्शित होने के 7 दिन के भीतर उनकी जाँच करायी जानी चाहिए।

(ग) चिकित्सालयों में रोगियों की कोविड-19 जाँच हेतु नियम :-

जाँच विधि का वरीयता क्रम -

- 1- आर टी पी सी आर / ट्रूनाट / सी बी नाट
- 2- रैपिड एंटीजन टेस्ट

जाँच हेतु पात्रता :

- 1- गंभीर तथा अकस्मात श्वसन संक्रमण (SARI) से ग्रसित रोगी।
- 2- चिकित्सालयों में रोगसूचक लक्षणों के साथ आने वाले (आई०एल०आई० लक्षण) समस्त रोगी।
- 3- चिकित्सालय में भर्ती अथवा तत्काल भर्ती की आवश्यकता वाले लक्षणविहीन उच्च-जोखिम वाले रोगी, यथा-निम्न रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले व्यक्ति, कैंसर रोगी, प्रत्यारोपण वाले रोगी, दीर्घावधि सह रुग्णता वाले रोगी, 65 वर्षीय व उससे अधिक आयु के व्यक्ति।
- 4- सर्जिकल / गैर-सर्जिकल इन्वेसिव प्रक्रियाओं से गुजरने वाले लक्षणविहीन रोगी (चिकित्सालय में अवरुद्ध के दौरान सप्ताह में एक बार से अधिक जाँच नहीं की जाएगी)।
- 5- प्रसव-पीड़ा में अथवा उसकी निकट स्थिति में प्रसव हेतु भर्ती समस्त गर्भवती महिलाएँ।

ध्यानाकर्षण योग्य बिन्दु :

- परीक्षण की अनुपलब्धता के कारण किसी भी आपातकालीन प्रक्रिया (प्रसव सहित) को विलंबित नहीं किया जायेगा, उपरिलिखित सभी बिन्दुओं में से कोई परिस्थिति होने पर नमूना जाँच के लिए भेजा जा सकता है।
- गर्भवती महिलाओं को परीक्षण की अनुपलब्धता के कारण वापस / अन्यत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। नमूने एकत्र करने और स्थानान्तरित करने सम्बन्धी सभी व्यवस्थाएँ स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों द्वारा की जानी चाहिए।
- वे माताएँ जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें 14 दिनों के लिए अपने बच्चे की देखभाल के दौरान मास्क पहनने और बार-बार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जानी चाहिए। नवजात को स्तनपान कराने से पूर्व स्तनों की सफाई के लिए सलाह दी जानी चाहिए। इन उपायों से उनके शिशुओं में कोविड-19 के संक्रमण के संचरण में कमी आएगी।
- समस्त लक्षणयुक्त नवजात शिशु जिनमें अकस्मात श्वास रोग अथवा संक्रमण के लक्षण प्रकट होते हैं। नवजात शिशु में बुखार के साथ या बिना बुखार के खाँसी के साथ या इसके बिना श्वासावरोध (एग्जिया) / श्वसन सम्बन्धी बीमारी जैसे लक्षण, शिशुओं में यह रोग श्वसन तंत्र के लक्षणों से इतर लक्षणों (यथा बुखार, सुस्ती, दूध न पीना, झटके आना, दस्त होना) के साथ भी प्रदर्शित हो सकता है।

- असामान्य लक्षण परिलक्षित करने वाले रोगियों (जैसे—स्ट्रोक, एन्सेफलाइटिस, हीमोप्टीसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तीव्र कोरोनरी लक्षण, गुलियन बारे सिन्ड्रोम, मल्टीपल आर्गेन, डिसफंक्शन सिन्ड्रोम, प्रोग्रेसिव गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिम्पटम्स, कावासाकी डिजीज (बाल्य चिकित्सा आयु समूह में) इत्यादि में रोगी की कोविड जाँच कराये जाने का निर्णय उपचार करने वाले चिकित्सक के विवेकानुसार लिया जा सकता है।

(घ) ऑन डिमांड कोविड जाँच (On Demand Testing) हेतु पात्रता -

- 1- ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान की यात्रा करने वाले हैं जहाँ यात्रा से पूर्व कोविड ऋणात्मक रिपोर्ट की उपलब्धता अनिवार्य है।
- 2- कोविड धनात्मक व्यक्तियों के संपर्क में आये व्यक्ति: ऐसे व्यक्तियों को जाँच कराते समय उस कोविड धनात्मक व्यक्ति का नाम तथा मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा, जिसके वे संपर्क में आए हैं।
- 3- ऐसे व्यक्ति जो किसी शल्य क्रिया अथवा किसी अन्य रोग के उपचार हेतु किसी चिकित्सालय में भर्ती होने से से पूर्व जाँच कराना चाहते हैं।
- 4- ऐसा व्यक्ति जिसमें SARI या ILI के लक्षण आ गए हो।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :

- उपरोक्त परिस्थितियों में जाँच बिना डॉक्टर के पर्चे के करायी जा सकेगी।
- किसी व्यक्ति का सैपल उसके निवास से एकत्र करने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर व्यक्ति का नाम, पता स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। निजी प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक होगा कि जाँच किए जा रहे व्यक्ति का फोन नम्बर उनके द्वारा फोन करके पुष्ट कर लिया जाएगा ताकि बाद में कान्टैक्ट ट्रेसिंग में कठिनाई न हो।
- पहचान पत्र की छायाप्रति भी लेना अनिवार्य होगा।
- जाँच कराने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह जाँच हेतु एक ही फोन नंबर एवं पहचान पत्र का उपयोग करेगा। अलग-अलग प्रयोगशालाओं में अलग-अलग फोन नंबर एवं पहचान पत्र का प्रयोग करना दंडनीय होगा।
- सभी हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो संदिग्ध/पुष्टीकृत कोविड-19 मरीजों के सम्पर्क में आते हैं, उनके द्वारा समुचित पीपी0ई0 का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक सर्जरी प्रक्रिया से पहले संक्रमण की सम्भावना को कम करने हेतु सभी व्यक्तियों के लिए 14 दिनों का होम क्वारेन्टाइन की सिफारिश की जाती है।

जाँच की आवृत्ति :

1. आर टी पी सी आर/ट्रूनाट/सी0बी0नाट एवं रैपिड एंटीजन टेस्ट में से किसी भी प्रकार की जाँच में धनात्मक पाए गए व्यक्ति की धनात्मक जाँच को पुष्ट माना जाए। ऐसी स्थिति में पुनः कोई जाँच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
2. कोविड धनात्मक रोगी के क्लिनिकली रोगमुक्त हो जाने के बाद उसको कोविड उपचार इकाई से विमुक्त करने से पूर्व किसी प्रकार की जाँच की आवश्यकता नहीं है।
3. यदि किसी व्यक्ति की रैपिड एंटीजन टेस्ट विधि से जाँच ऋणात्मक आने के उपरान्त ऐसे व्यक्ति में लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो पुनः आर टी पी सी आर विधि द्वारा जाँच करायी जानी चाहिए।

परिभाषाएँ:

- डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा आई०एल०आई० (ILI) केस की परिभाषा : प्रत्येक वह व्यक्ति जो अकस्मात श्वसन संक्रमण के साथ बुखार ≥ 38 डिग्री सेल्सियस एवं पिछले 10 दिनों से खांसी से ग्रसित हो।
- डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा एस०ए०आर०आई० (SARI) केस की परिभाषा: प्रत्येक वह व्यक्ति जो तीव्र श्वसन संक्रमण के साथ बुखार ≥ 38 डिग्री सेल्सियस एवं पिछले 10 दिनों से खांसी से ग्रसित हो और उसको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

3- यह आदेश उ०प्र० लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग निंत्रण अधिनियम-2020 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं। कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Amrit Mohan Prasad
10.9.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1828-(1)/पॉच-5-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- (2) निदेशक, संघीय रोग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (3) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) राज्य सविलास अधिकारी, आई०डी०एस०पी०, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शत्रुंजय कुमार सिंह
(शत्रुंजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या-1794/पांच-5-2020
लखनऊ दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच हेतु लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि रू०-2500/- चिकित्सा अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-939/पांच-5-2020 दिनांक 23.04.2020 संपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 967/पांच-5-2020 दिनांक 26.04.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित की गई है।

2- वर्तमान में आर०टी०-पी०सी०आर० टेस्ट किट रीजेन्ट्स तथा वी०टी०एम० किट के दामों में गिरावट आने के कारण कार्यालय ज्ञाप संख्या-939/पांच-5-2020 दिनांक 23.04.2020 एवं संपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-967/पांच-5-2020 दिनांक 26.04.2020 को संशोधित करते हुए एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आर०टी०-पी०सी०आर० जांच हेतु लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम धनराशि रू० 1600/- निर्धारित की जाती है।

3- ट्रूनाट के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भी अधिकतम धनराशि रू० 1600/- का शुल्क लिया जाएगा।

4- निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त जांच हेतु रू० 1600/- से अधिक धनराशि लिया जाना एवं अन्य उल्लिखित प्राविधानों का पालन न करना एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

संलग्नक: यथोक्त।

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1794 (1)/पांच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ०प्र०।
9. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ०प्र०।
10. गार्ड फाइल।

अमित
10.09.20

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।
10/09/2022